कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक –3758 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 30/05/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0–53059/2020)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0–08 बी/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0/दिनांक 04.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.01.2026 को उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान अवैध सड़क निर्माण के संबंध में प्रभाग स्तर से जॉच समिति का गठन करते हुए विस्तृत आख्या/टिप्पणी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के पंत्राक 6601/12–1 (2) दि0 05.05.2026 के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव द्वारसों–काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास वन पंचायत भूमि में बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य करने पर प्रभाग स्तर से गठित समिति द्वारा दि0 24.03.2026 को क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि जिस भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है वह भूमि वन पंचायत सुनियाकोट की है, तथा वन पंचायत निर्देशिका 2023 में कुमाऊँ मण्डल में अवस्थित पंचायती वनों के विवरण (15.2–अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा) के अनुसार उक्त वन पंचायत सिविल भूमि से बनी हुई है।

उक्त मोटर मार्ग का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1543/7सी0 दिनांक 27.08.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया है तथा प्रस्ताव का ऑनलाईन प्रस्ताव सं0FP/UK/ROAD/53059/2020 है।

सरपंच वन पंचायत सुनियाकोट के बयान तथा वन पंचायत सुनियाकोट की कार्यवाही पंजिका के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग के समीप निर्माण कार्य विकास खण्ड ताड़ीखेत से प्राप्त धनराशि से करवाया गया है। तथा उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में संलग्न मैप के अनुसार उक्त निर्माण कार्य प्रस्तावित संरेखण में नहीं किया गया है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास किये गये अवैध निर्माण कार्य में एफ0सी0ए0 के पैरा सं0 "**1.16 Ex post Facto approval and Penal Provisions:** Proposals seeking ex-post-facto approval of the Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 are normally not to be entertained. The Central Government will not accord approval under the Act unless under exceptional